न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/41/2026 दायर दिनांकः–27.04.2026 रजि0 न0 2026/79

अपीलार्थीः–

श्री हरिओम लाटा पुत्र श्री सूरज प्रसाद लाटा निवासी वार्ड नं० 04, ग्राम संकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज०

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 11.05.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 05.03.2026 के परिपेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना नही मिलने बाबत अभिकथन किया गया है ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 11.05.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक लो०स०ूअ०/प्रथम अपील/2026/540 दिनांक 08.05.2026 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 05.03.2026 को राज सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293338710759253 दिनांक 10.03.2026 दर्ज रजिस्टर कर, आवेदन में वांछित सूचना इस लोक सूचना अधिकारी से संबंधित नहीं होने के कारण, RTI Online Portal पत्र सं. 3201162414 दिनांक 11.03.2026 के माध्यम से मूल आवेदन, उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ को अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है जिसकी सूचना अपीलार्थी को ऑनलाईन मय पंजीकृत–पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्र सं. लो०स०ूअ०/प्रथम अपील/2026/542 दिनांक 08.05.2026 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है। प्रश्नगत अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ को अन्तरित की गई थी जिसका प्रथम अपील का क्षेत्राधिकार न्यायालय अति० जिला कलक्टर अलवर को प्राप्त है।
7. उक्त प्रथम अपील न्यायालय अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर को अन्तरित की जाती है कि वो उपखण्ड अधिकारी राजगढ से आगामी जवाब कार्यवाही कर आवेदक को सूचित करावें।
8. इस न्यायालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने पर अपील कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।
9. आज दिनांक 11.05.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)